रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/96

REGISTERED NO. D.L.—33002/96

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

असाधारण
EXTRAORDINARY

सं. 102] दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 5, 1996/आषाढ़ 14, 1918 [पी.आर.डी. सं. 178
No. 102] DELHI, FRIDAY, JULY 5, 1996/ASADHA 14, 1918 [P.R.D. No. 178

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 4 जुलाई, 1996

सं. फ. ए. एच. डी./डी. ए. सी. पी./नियमावली/94/ 3160.— दिल्ली कृषि पशु संरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम सं. 7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1 दिल्ली कृषि पशु संरक्षण नियमावली, 1996—संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारम्भ-(1) ये नियम दिल्ली कृषि पशु संरक्षण नियम, 1996 कहलाएंगे ।

(2) ये सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तरित होंगे।

(3) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्राय, दिल्ली कृषि पशु संरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम सं. 7) से है ।

(ख) ''फार्म'' से अभिप्राय इन नियमों के साथ संलग्न फार्म से है ।

(ग) ''धारा'' से अभिप्राय अधिनियम की धारा से है ।

3. परमिट के लिए आवेदन का प्रारूप तथा प्रदत्त किया जाने वाला शुल्क :—धारा 5 की उप-धारा (3) तथा (4) के अधीन परमिट के लिए आवेदन किसी व्यक्ति तथा सम्बन्धित पशु चिकित्सा अधिकारी को प्रपत्र (1) में किया जाएगा जो कि सम्बन्धित पशु चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है । आवेदन पत्र के साथ उस कृषि सम्बन्धी पशु प्रति 10/- रु. (केवल दस रुपये) शुल्क भी लिया जाएगा जिसके लिए निर्यात या वहन हेतु परमिट मांगा गया है । शुल्क का भुगतान नकद रूप में किया जाएगा तथा पशु चिकित्सा अधिकारी से उसकी रसीद प्राप्त की जाएगी ।

4. पशु चिकित्सा अधिकारी के पास जांच हेतु कृषि सम्बन्धी पशु को ले जाना :—नियम 3 के अधीन आवेदन प्राप्ति पर पशु चिकित्सा अधिकारी आदेश द्वारा कृषि सम्बन्धी पशु के मालिक को पशु को लाने का निर्देश देगा तथा उसके पश्चात् तद्नुसार पशु को जांच हेतु लाने /जांच से सम्बन्धित सभी पर्याप्त सहायता देने की ड्यूटी पशु मालिक की होगी ।

5. पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा कृषीय पशु की जांच :—यदि कृषीय पशु की जांच करने पर पशु चिकित्सा अधिकारी

इस बात से सन्तुष्ट है कि पशु किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं है तो वह तदानुसार पशु को प्रमाणित करेगा तथा उसके एक गाल पर ''सी'' अक्षर लिखवाएगा।

6. पशु चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र :—पशु चिकित्सा अधिकारी कृषीय पशु की जांच का प्रमाणपत्र प्रपत्र II में जारी करेगा तथा इसे सक्षम प्राधिकारी के पास भेजेगा ।

7. परमिट की स्वीकृति या अस्वीकृति :—पशु चिकित्सा अधिकारी से जांच प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेने पर सक्षम प्राधिकारी मामले पर विचार करने के पश्चात् प्रपत्र III में परमिट जारी कर सकता है या प्रपत्र चार में परमिट देने से मना कर सकता है ।

उपबन्ध यह है कि परमिट देने के लिए आवेदन पत्र को तब तक अस्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया जाता ।

प्रपत्र-I

(नियम 3 देखें)

कृषीय पशु के निर्यात या वहन हेतु परमिट के लिए आवेदन

(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाये)

प्रति

पशु चिकित्सा अधिकारी

....

....

(स्थानीय क्षेत्र)

मैं.. (आवेदक का नाम) पुत्र श्री .... निवासी ....(पूरा डाक पता दें) एतद्द्वारा निम्नलिखित कृषीय पशु को कृपया (विनिर्दिष्ट करें कि क्या उद्देश्य बेहतर और सुरक्षित प्रजनन है या दुधारू या भारवाही या प्रतिस्थापन है)..(प्रयोजन) के लिए निर्यात/वहन हेतु परमिट के लिए आवेदन करता हूँ (जो लागू न हो काट दिया जाए)।

(क) कृषीय पशु की संख्या :—

*(ख) (1) प्रत्येक कृषीय पशु की किस्म :

(2) प्रत्येक कृषीय पशु की प्रजाति :

*(ग) प्रत्येक कृषीय पशु की आयु :

*(घ) प्रत्येक कृषीय पशु का लिंग :

(ङ) उस राज्य/राज्य क्षेत्र का नाम (जो लागू न हो उसे काट दिया जाए) जहां से निर्यात या वहन किये जाने के लिए प्रस्तावित है :

(च) क्या आवश्यक शुल्क जमा कर दिया है ? :

(1) रसीद संख्या और तारीख :

(2) जमा कराई गई राशि :

*कृषीय पशु से पहचान

घोषणा

1. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त कृषीय पशु जिसके लिए निर्यात/वहन हेतु (जो लागू न हों उसे काट दिया जाये) परमिट के लिए आवेदन किया गया है, उसका वध नहीं किया जाएगा ।

2. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि उपरोक्त कृषीय पशु के वध पर ....(राज्य/संघराज्य क्षेत्र का नाम) के राज्य/संघराज्य क्षेत्र में प्रतिबन्ध है ।

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

(पूर्ण आवासीय और व्यावसायिक पते सहित)

*अलग कागज संलग्न करें, यदि आवश्यक हो ।

प्रपत्र-II

(नियम 6 देखें)

कृषीय पशु की जांच का प्रमाण पत्र

*(तीन प्रतियों में भरा जाये)

सं. दिनांक:

मैंने आज..............................पर श्री .... के दिनांक.................................. के आवेदन पत्र के अनुसार निम्नलिखित कृषीय पशु की जांच की तथा एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि पशु किसी रोग से ग्रस्त नहीं है ।

पशु का विवरण :—

1. कृषीय पशुओं की संख्या :
2. प्रत्येक कृषीय पशु की किस्म :
3. प्रत्येक कृषीय पशु की प्रजाति :
4. प्रत्येक कृषीय पशु का लिंग :
5. प्रत्येक कृषीय पशु की आयु :
6. पहचान हेतु प्रत्येक कृषीय पशु का विवरण :

———————

पशु चिकित्सा अधिकारी

दिनांक: हस्ताक्षर:

स्थान:

*एक प्रति आवेदक को दी जाएगी

दूसरी प्रति सक्षम प्राधिकारी को भेजी जाएगी जो परमिट देता है ।

तीसरी प्रति पशु चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में रहेगी ।

प्रपत्र-III

(नियम 7 देखें)

कृषीय पशु के वहन या निर्यात हेतु परमिट

संख्या: दिनांक:

श्री.. पुत्र.. निवासी .... को एतद्द्वारा निम्नलिखित कृषीय पशुओं के निर्यात/वहन की अनुमति दी जाती है :—

1. कृषीय पशुओं की संख्या :

*2. प्रत्येक कृषीय पशु की किस्म :

*3. प्रत्येक कृषीय पशु की प्रजाति :
*4. प्रत्येक कृषीय पशु की आयु :
*5. प्रत्येक कृषीय पशु का लिंग :
6. उस राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र का नाम:
(जो लागू न हो काट दिया जाए) जहां से निर्यात या वहन किये जायें :

दिनांक : सक्षम प्रधिकारी के हस्ताक्षर

*यदि आवश्यक हो, अलग कागज लगायें ।

प्रपत्र-IV

(नियम 7 देखें)

कृषीय पशु के वहन या निर्यात हेतु परमिट की अस्वीकृति

संख्या : दिनांक :

श्री...पुत्र.....................................

निवासी... ने दिनांक........

के आवेदन (प्रति संलग्न) के अनुसार कृषीय पशु के वहन या निर्यात हेतु परमिट लेने के लिए आवेदन किया है ।

एतद्द्वारा निम्नलिखित कारणों से परमिट की स्वीकृति नहीं दी जा सकती ।

दिनांक : सक्षम प्रधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

डी. एस. नेगी, सचिव

DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION

Delhi, the 4th July, 1996

No. F. AHD/DACP/Rules/94/3160.—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Delhi Agricultural Cattle Preservation Act, 1994 (Delhi Act No. 7 of 1994), the Government of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules, namely :—

THE DELHI AGRICULTURAL CATTLE PRESERVATION RULES, 1996

1. **Short title, extent and commencement.** —(1) These rules may be called the Delhi Agricultural Cattle Preservation Rules, 1996.

(2) They extend to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Delhi Agricultural Cattle Preservation Act, 1994 (Delhi Act No. 7 of 1994);

(b) "Form" means a Form appended to these rules;

(c) "Section" means a section of the Act.

3. **Form of application for permit and the fees to be paid.**— An application for a permit under sub-section (3) on sub-section (4) of section 5 shall be made by a person to the Veterinary Officer concerned in Form I which may be obtained from the concerned Veterinary Officer. Such application shall be accompanied by a fee of Rs. 10/- (Rupees ten only) per head of agricultural Cattle for which permit for export or transportation is sought. The fee shall be paid in cash and receipt obtained, therefor from the Veterinary Officer.

4. **Presenting Agricultural Cattle for examination of the Veterinary Officer.**—On receipt of the application under rule 3, the Veterinary Officer shall, by order, direct the person keeping the Agricultural Cattle to submit such cattle for examination and thereupon it shall be the duty of the person keeping such cattle to submit it for examination accordingly and render all reasonable assistance in connection with such examination.

5. **Examination of Agricultural Cattle by Veterinary Officer.**—If on examination of an Agricultural Cattle, the Veterinary Officer is satisfied that the cattle is not suffering from any disease, he shall certify the cattle accordingly and cause it to be branded with letter 'C' on one of its cheeks.

6. **Certificate of the Veterinary Officer.**—The Veterinary Officer shall issue a certificate of examination of the Agricultural Cattle in Form II and send it to the Competent Authority.

7. **Grant or refusal of the permit.**—On receipt of the certificate of examination from the Veterinary Officer, the Competent Authority may, after considering the matter, issue a permit in From III or refuse to grant such permit in Form IV:

Provided that an application for grant of a permit shall not be refused unless the application has been given a reasonable opportunity of being heard.

FORM I

(See rule 3)

APPLICATION FOR PERMIT FOR EXPORT OR TRANSPORTATION OF AGRICULTURAL CATTLE

(To be submitted in quadruplicate)

To

The Veterinary Officer
....
....
(Local area)

I, ..., (name of applicant) son of Shri..., resident of .... (Give full postal address) hereby apply for the grant of a permit for export/transportation (Strike off whichever is not applicable) of the following Agricultural Cattle for .... (purpose) (Please specify whether the purpose is to preserve

and improve the breeding or for purpose of milch or draught or for replacement, as the case may be) :—

(a) Number of Agricultural Cattle :

*(b) (i) Kind of each Agricultural Cattle :

(ii) Species of each Agricultural Cattle :

*(c) Age of each Agricultural Cattle :

*(d) Sex of each Agricultural Cattle :

(e) Name of the State. Union territory (Strike off whichever is not applicable) to which they are proposed to be exported/transported :

(f) Whether necessary fee has been deposited. If so,

(i) No. and date of receipt :

(ii) Amount deposited :

*Identification of the Agricultural Cattle.

DECLARATION

1. I hereby declare that the Agricultural Cattle as described above for which permit for export/transportation (Strike off whichever is not applicable) has been applied for shall not be slaughtered.

2. I also declare that slaughter of the Agricultural Cattle as described above is banned in the State/Union territory (Strike off whichever is not applicable) of .... (name of the State/Union territory).

Date : Signature of the applicant with full

Place: residental and occupational addresses.

*Attach separate sheets, if necessary.

FORM II

(See rule 6)

CERTIFICATE OF EXAMINATION OF AN AGRICULTURAL CATTLE

*(To be made in Triplicate)

No.: Dated the

I have examined today at .... the Agricultural Cattle described below, as per the application dated....................................... of Shri.................................. and hereby certify that the cattle is/are not suffering from any disease.

Description of the Cattle:—

1. No. of Agricultural Cattle :
2. Kind of each Agricultural Cattle :
3. Species of each Agricultural Cattle :
4. Sex of each Agricultural Cattle :
5. Age of each Agricultural Cattle :
6. Description of each Agricultural Cattle for identification :

Date : Signature of the Veterinary Officer

Place :

*One copy will be given to the applicant; Second copy will be sent to the Competent Authority which grants the permit; Third copy will be retained in the Office of the Veterinary Officer.

FORM III

(See rule 7)

PERMIT FOR TRANSPORTATION OR EXPORT OF AGRICULRURAL CATTLE

No. Date

Shri.., son of ...., resident of ....

is hereby permitted to export or transport Agricultural Cattle, as mentioned below :—

1. No. of Agricultural Cattle :

*2. Kind of each Agricultural Cattle :

*3. Species of each Agricultural Cattle :

*4. Age of each Agricultural Cattle :

*5. Sex of each Agricultural Cattle. :

6. Name of the State/Union territory (Strike of whichever is not applicable to which they may be exported or transported :

Date: Signature of Competent Authority

Place :

*Attach separate sheet, if necessary.

FORM IV

(See ruler 7)

REFUSAL TO GRANT PERMIT FOR TRANSPORTATION OR EXPORT OF AGRICULTURAL CATTLE

No. : Dated :

Shri.................................., son of ...., resident of ....

had applied for a permit to transport or export of Agricultural Cattle as per his application dated .... (Copy attached).

The grant of permit is hereby refused for the following reasons :—

Date : Signature of Competent Authority

Place :

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

D.S. NEGI, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996